जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.04.2026 को अपरान्ह 04.00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति/जल जीवन मिशन की आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. जिलाधिकारी, इटावा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
3. प्रतिनिधि मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा।
4. जिला विकास अधिकारी, इटावा।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा।
6. प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी, इटावा।
7. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, इटावा।
8. जिला अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिचाई विभाग, इटावा।
9. अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, इटावा।
10. जिला कृषि अधिकारी, इटावा।
11. जिला सूचना जन सम्पर्क अधिकारी, इटावा।
12. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, इटावा।
13. डिस्ट्रिक्ट कॉर्डीनेटर एवं अन्य डीपीएमयू स्टाफ।
14. डीपीएम, बी.एल.जी.कं0 एवं अन्य टी0पी0आई0 स्टाफ।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य स्टाफ फर्म मै0 आई.एच.पी.।
16. प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य स्टाफ फर्म मै0 OMIL–JWIL (JV)।
17. अन्य अधिकारी/कर्मचारी।

जल जीवन मिशन (फेज–2) :– अवगत कराना है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से नामित फर्म मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप प्रा0लि0 को 94 नग (सम्मिलित 159 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य किया जाना लक्षित है। 94 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 39 नग पेयजल येाजनाओं का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, वर्तमान में 159 नग राजस्व ग्राम के सापेक्ष 123 राजस्व ग्राम में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

निर्देशः– फर्म को निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु बार चार्ट उपलब्ध करायें तथा लक्षित योजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समस्त नियमित जलापूर्ति से सम्बन्धित पेयजल योजनाओं में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति करें।

(कार्यवाही : मै0 द इण्डियन हयूम पाइप प्रा0लि0, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण))

जल जीवन मिशन (फेज–3):– अवगत कराना है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से नामित फर्म मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप प्रा0लि0 को 259 नग (सम्मिलित 381 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। 259 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 06 नग पेयजल येाजनाओं का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, वर्तमान में 381 नग राजस्व ग्राम के सापेक्ष 67 राजस्व ग्राम में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

निर्देशः– फर्म को निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु बार चार्ट उपलब्ध करायें तथा लक्षित योजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समस्त नियमित जलापूर्ति से सम्बन्धित पेयजल योजनाओं में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति करें।

(कार्यवाही : मै0 OMIL–JWIL (JV) , अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण))

जल निगम द्वारा पुरानी पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण कार्यः– अवगत कराना है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से फर्म मै0 हितवी कन्स्ट्रक्शन लि0, गुजरात को 97 नग (सम्मिलित 143 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो का रखरखाव व मरम्मतीकरण हेतु 10 वर्ष हेतु नामित किया गया है, जो पूर्व में ग्राम पंचायत को हस्तगत है। वर्तमान में 143 नग राजस्व ग्राम के सापेक्ष 133 राजस्व ग्राम में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। जल निगम की योजनाओं में 14 नग योजना पूर्ण क्षमता पर संचालित है, 77 नग योजना आंशिक संचालित और 06 नग योजना क्रियाशील नहीं है, योजनाओं को पूर्ण क्षमता पर संचालन हेतु कमियों को दूर करने हेतु डी0पी0आर0 बनाकर प्रेषित कर दिया गया है।

निर्देशः– फर्म को निर्देशित किया गया है, कि समस्त योजनाओं में क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : मै0 हितवी कन्स्ट्रक्शन लि0, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण))

हैण्डपम्प कार्यः–डी0पी0आर0ओ0 को निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्म काल को दृष्टिगत हैण्डपम्पों की मरम्मत करा ली जाये।

जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 7/2026 /493/छिहत्तर–1–2026(2027542) दिनांक 28.02.2026 एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 11031/14/2025–WQ-DDWS, दिनांक 12.01.2026 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के निर्देश दिए गए हैं। दिये गये निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का निम्नवत् गठन के निर्देश दिए गए हैं :–

क्र0सं0	पद नाम	पद
1	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) सिविल	अध्यक्ष/संयोजन
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि0/यां0	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
6	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7	सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज (तकनीकी)	सदस्य
8	लैब कैमिस्ट, जनपदीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), इटावा	सदस्य
9	भूगर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एवं दायित्व :–

1) सभी प्रकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, राज्य योजनाएं, National Rural Drinking Water Programme (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) तथा अन्य ग्रामीण योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाना।
2) जिला तकनीकी इकाई द्वारा रिऐक्टिव मैन्टेनैन्स को कम करने, नियोजित पूर्वानुमान आधारित एवं मितव्ययी संचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से :–

I. सुजलाम भारत ऐसेट रजिस्ट्री के आधार पर योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स हेतु डिजिटल प्रीवैन्टिव मैन्टेनेन्स शिड्यूल तैयार कराना।
II. विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के जीवनकाल एवं सिस्टम के परफोरमैन्स के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऐसेट रीप्लेसमैन्ट रणनीति तैयार करना।
III. विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के फेल्योर, प्लान्ट रीप्लेसमैन्ट तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (ए0आई0) आधारित पूर्वानुमान के आधार पर ऑप्टिमम् भण्डार का प्रबन्धन कराना।
IV. डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त तकनीकी एवं ऑपरेशनल समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना।
V. ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, स्थान विशेष/क्षमता के दृष्टिगत सीधे ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा अथवा तकनीकी एजेन्सी/फर्म को ऐन्नोज करते हुए किया जा सकता है।
VI. योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्ध तैयार करना, स्कोप ओफ वर्क परिभाषित करना सर्विस लैवल, स्टॉफ की आवश्यकता, स्पेयर्स एवं भण्डार की आवश्यकता व सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जिला एवं ग्राम पंचायतों को सुझाव देना।
VII. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण, प्रीवैन्टिव मैन्टेनैन्स एवं आपातकाल में रिस्पॉन्स के सम्यन्ध में स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(SOP) तैयार कराना।
VIII. जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्लानिंग, कमिशनिंग तथा हैण्डओवर (जलार्पण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित कराना।
IX. योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं नियमित व पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लानिंग एवं वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध में सुझाव देना।

1. जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिये उत्तरदायी होगी।
2. जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा ऑकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते हुए, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को उसके निवारण हेतु सुझाव दिए जाएंगे।
3. जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे।
4. कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद मीटिंग समाप्त हुई।

05/04/2026

अधिशासी अभियन्ता (जल निगम)/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
इटावा